-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 23.10.2026**

- **शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन से उसके दोस्त द्वारा छलपूर्वक फोन पे के माध्यम से ₹ 97,500/- किसी दूसरे खाते मे ट्रांसफर कर साइबर ठगी की गयी थी।**
- **थाना शिवली पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 97,500/- को वापस कराया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री सूरज कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम मरहमताबाद थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के मोबाइल फोन से उसके दोस्त द्वारा छलपूर्वक फोन पे के माध्यम से ₹ 97,500/- किसी दूसरे खाते मे ट्रांसफर कर साइबर धोखाधड़ी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गई व थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई जिसके आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 66(डी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना शिवली पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा दिनांक 23.10.2026 को शिकायतकर्ता के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 97,500/- को वापस कराया गया। पुलिस की कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पुलिस का धन्यवाद दिया।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 97,500/-

शिकायत के सम्बन्ध मे प्रचलित/महत्वपूर्ण पोर्टल/एप्लीकेशन का विवरण-

1.मोबाइल फोन खोने पर सीईआईआर पोर्टल व संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यस से शिकायत दर्ज करें- https://www.ceir.gov.in

2.ऑनलाइन फ्रॉड खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करे।

धनराशि वापस कराने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. कम्प्यूटर आप0 अतुल कुमार
4. म0का0 1261 प्रीति सोनकर